

कैलाश बगद ठाजप

27/10/24

22/5/24

पञ्जावणी प्रेशा दुडी वकील प्राचीनअण वकील प्राचीनको अप्राचीण की तमवी रविअफ तमकाण प्रेशा कले हेतु दिनांक 11/4/2024 को आदेशित किण गया। अप्राचीण को दिनांक 12/4/24 को नोटिस जारी कर वकील प्राचीण को रविअशी कराने हेतु नोटिस दिये गये। वकील प्राचीण ने आगामी प्रेशी पर रविअफ पोस्ट ऑफीस रविअशी रलीडे प्रेशा नही कीणडी यादीगण प्राचीण व वकील प्राचीण को दिनांक 15/4/24 को पोस्ट ऑफीस रविअशी रलीडे प्रेशा कले हेतु अन्तिम अवधव दिया जाकर हिदायत की गई थी कि आगामी प्रेशी पर पोस्ट ऑफीस रविअशी रलीडे प्रेशा नही कले अन्तर्गत 09 R54PL के तहत कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। वकील प्राचीण ने डाकघर रविअशी रलीडे प्रेशा नही की गई इससे स्पष्ट प्रतीत है कि दिनांक 12/4/24 को जारी नोटिसो की प्राचीण ने रविअशी नही कराई गई। प्राचीण ने 039 R34PL की पालना नही की गई। अतः प्राचीण का प्राचण धारा 212 RTA अन्तर्गत 09 R54PL के तहत अफ तकमीक NON-Compliance में परिणित किण जात है। पञ्जावणी मन्वट से कले लोक साद तकमीक दाहिण व अत वी सुनाया गया।

उपरोक्त अधिकारी
जयपुर, हितीय (सांगानेर)

